IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)
बिहार शोध समागम BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 3, Issue 4, October-December, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971 (ONLINE)

बौद्ध काल में महिलाओं की भूमिकाः एक आलोचनात्मक अध्ययन

Dr dhrub chandr
Research scholar
Ancient Indian History and archaeology
Patna University Patna
Email -dhrubbhu123@gmail.com

किसी राष्ट्र की उन्नति का पैमाना महिलाओं के विकास पर निर्भर करता है। बिना महिला उन्नति के राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। हर काल, समय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना बनती रही है। आज भी वर्तमान में सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या खराब?

इस प्रश्न का उत्तर गहन शोध कार्य के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यद्यपि इसके पूर्व भी इस महत्वपूर्ण प्रश्न व विषय पर कार्य किये गये हैं या हो रहे हैं। लेकिन एक नये दृष्टिकोण से अध्ययन किये जाने की जरूरत है। इसलिए यह शोध कार्य किया गया।

बीज शब्द– बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, बौद्ध काल, महिलाओं की स्थिति

बुद्ध काल परिवर्तन का काल था, जिसमें धार्मिक, आर्थिक बदलाव तीव्र गति से हो रहे थे। यद्यपि इसी काल में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिली। पुत्री को पुत्र के समान माना जाता था। इसके पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। इस समय महिलाओं की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी पुरुषों के समान थी।[1]

कालान्तर में उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज किया गया। इस काल में महिलाओं को युवावस्था में माता–पिता तथा वृद्धावस्था में पति व बच्चों की सेवा करते हुए व्यतीत करना पड़ता था। इनकी धार्मिक, सामाजिक स्वतंत्रता सीमित थी।[2] इनका वर इनके माता–पिता चुनते थे, वे स्वयं नहीं चुन सकती थी। बाल–विवाह का चलन भी बढ़ गया था।

प्रारम्भिक बुद्ध कालः–

उत्तरवैदिक काल के बाद पुरोहितों का प्रभाव बढ़ गया। जिससे आमजन के बीच धार्मिक अनुष्ठान, पशुबलि जैसी कुरीतियों का आगमन हो चुका था। इस समय महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा जाने लगा था। उनका कार्य केवल पालन–पोषण व सेवा तक ही सीमित कर दिया गया था।

बुद्धकालः–

जब समाज में ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता व खर्चीले यज्ञ, पशुबलि व अंधविश्वास चरम पर था, तब महात्मा बुद्ध ने जातिप्रथा व कर्मकाण्ड की आलोचना किया। ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से अपना जीवन सुलभ बना सकता है। इनके उपदेश का सार यही है कि व्यक्ति स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। बुद्ध ने महिलाओं की कठोर आध्यात्मिक लगाव के कारण संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान किया था। भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए अलग–अलग संघ में रहने की अनुमति दिया था। महिलाओं को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति में पुरुष की जरुरत नहीं है। बी. हार्नर के अनुसार बौद्ध धर्म ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। बुद्ध काल में विवाह करना अनिवार्य न रहकर वह धर्मनिरपेक्ष सामाजिक अनुबंध बन गया। जिसमें विवाह करने वाले व्यक्ति का अधिकार व कर्तव्य स्पष्ट निर्धारित थे।[3] भिक्षुणी संघ में सभी वर्ग, समाज स्तर की महिलायें शामिल थी। इन भिक्षुणियों की विस्तृत कहानी व कथात्मक कार्य पालिग्रन्थ 'थेरीगाथा' में मिलते हैं। जो इन भिक्षुणियों द्वारा रचित श्लोकों का संकलन है। यह खुद्दक निकाय, सुत्तपिटक का भाग है।

इसमें प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी का विवरण मिलता है। उप्पलावन्ना तथा खेमा को भिक्षुणियों में अग्रणी माना जाता है। इसमें किसगोमती, अंबपाली व विमला का विवरण है। राजपरिवार से सम्बन्ध रखने वाली सुमेधा, सैला तथा व्यापारी परिवार से आने वाली भद्र कुण्डलकिशा, सुजाता व अनोपमा का वर्णन है। पुन्निका दासी पुत्री तथा चन्दा गरीब ब्राह्मण की पुत्री का भी वर्णन मिलता है।

इसी से सम्बन्धित संयुक्त निकाय में वर्णन है कि धम्म रथ पर विराजमान होकर कोई भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। वैशाली में आम्रपाली, जयन्ती, रोहिणी, वत्सा व विमला नामक भिक्षुणी प्रसिद्ध थी। तो वही श्रावस्ती में विशाखा व मल्लिका प्रमुख उपासिका थी।[4]

महिलाओं का नकारात्मक विवरण –

बुद्ध ने महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। लेकिन वे कभी–कभी अपने उपदेश व्यवहारिकता के आधार पर देते थे। वे

महिला व पुरुष के सामाजिक व शारीरिक अंतरों को समझते थे। जिसका वर्णन अंगुत्तर व संयुक्त निकाय में मिलता है।

अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने विवाह के पूर्व स्त्री को क्या करना चाहिए, इसको बताया है कि 'वे अपने सास–ससुर का सम्मान अपने माता–पिता के समतुल्य करें'। पति के मित्र व रिश्तेदारों को सम्मान दें। जिससे उनका घर सुखी व समृद्ध रहे। नौकरों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार रखें।

त्रिपिटक में कुछ जगहों पर महिलाओं को छल व कपटपूर्ण व्यवहार करने वाली बताया गया है। बुद्ध ने संयुक्त निकाय में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक विवेकशील व बुद्धिमान माना है। महिलाएं अष्टांगिक मार्ग पर चलने व सत्व प्राप्ति हेतु सक्षम हैं।

बुद्ध स्त्री विरोधी प्रतीत होते हैं क्योंकि इनके अनुसार स्त्री बुराई, वासना बढ़ाने वाली व पुरुषों के परम लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने वाली है। इसलिए वे शुरू में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दिये थे, कई बार संघ प्रवेश की अनुमति को अस्वीकार कर चुके थे।

कालान्तर में प्रिय शिष्य आनन्द के अनुरोध पर बुद्ध ने अपनी प्रथम उपासिका प्रजापति गौतमी को प्रव्रज्या की अनुमति दिया। इनके साथ 500 भिक्षुणी भी थी। संघ प्रवेश के बाद बुद्ध ने कठोर नियम बनायें।[5] उन्होंने कहा कि पहले जितना संघ चलता वह अब आधा समय तक चलेगा।[6]

भिक्षुणी संघ की स्थापना 5 वर्ष बाद 8 कठोर नियमों के साथ शुरू हुआ।

परम पद प्राप्ति के लिए स्त्री व पुरुष होना कोई मायने नहीं रखता है। महात्मा बुद्ध भी मानव थे अतः वे तत्कालीन समाज व संस्कृति से प्रभावित हो सकते हैं।

यद्यपि वे अन्य समाज की तुलना में उदार थे। उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को मन में रखकर चिन्तन करें तो स्थिति व विचार साफ होंगे। इसमें संदेह नहीं है कि भिक्षुणियों के लिए कठोर नियम बनाये गये थे, जिससे समाज की स्वीकार्यता मिल सके।

बौद्ध ग्रन्थों में महिलाओं की आलोचना की गई है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति में बाधक 'मार' भी इसकी पुष्टि करता है।[6] जातक कथाओं में भी महिलाओं के विविध पक्षों का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय के सम्मन जातक कथा में स्त्रियों की कामुकता व सांसारिकता का विवरण है। ''स्त्री कभी भी संभोग व श्रृंगार तथा सन्तान उत्पत्ति से सन्तुष्ट नहीं रहती है, कभी भी यौन सुख से थकती नहीं है।''

महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय 'मार' की पुत्रियों ने इनके मार्ग को बाधित किया था। शायद इसीलिए कुछ स्त्रियों को परम लक्ष्य प्राप्ति में बाधा मानते थे। महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति कैसा था, इसका आकलन करते समय तत्कालीन कर्मकाण्ड, पूजा–पाठ व आडम्बरपूर्ण समाज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बुद्ध के जन्म के समय समाज कुरीतियों से जकड़ा था। इनके पिता छोटे राज्य के शासक थे। इनकी माता का देहावसान 7 दिन बाद हो गया। राजा के दरबारी वक्ताओं ने राजा या संन्यासी बनने की बात कही। राजा ने इनको विलासिता पूर्ण जीवन दिया। विवाह यशोधरा नामक सुन्दर कन्या से कराया। जिनसे राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

इन्होंने एक रात्रि कार्यक्रम के बाद बेसुध व विभत्स रूप में सोई स्त्री को देखा। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए राज्य का त्याग कर दिया। इनके मन से स्त्री वश का बंधन टूट गया। जबकि इनको बताया गया था कि स्त्री केवल वस्तु है, जो प्रजनन, पालन, पोषण व मनोरंजन के लिए है।

रीता एम. ग्रास के अनुसार जब बुद्ध ने अपनी पत्नी का परित्याग किया, तो इसका कारण कामुक व दुष्ट स्वभाव नहीं वरन उनके प्रति आसक्ति का भाव था।

भिक्षुणी संघ की स्थापना –

प्रश्न यह है जब महात्मा बुद्ध स्त्री–पुरुष को एक समान मानते थे, तब बुद्ध ने इतनी देरी क्यों किया भिक्षुणी संघ बनाने में ?

यद्यपि बुद्ध ने भिक्षुणियों के लिए नियम बनाने में जनमत संग्रह कराया। तब इसके बाद 8 नियमों का प्रतिपादन किया। जबकि उनके समक्ष चिंता रही होगी कि यदि महिलाएं संघ में आयेंगी, तब जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी। जनता के सहयोग के बिना भिक्षुणी संघ कार्य नहीं कर सकता है।[8]

जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में मठ में निवास कर रहे थे, तब उनको पालने वाली उनकी माता महाप्रजापति गौतमी उनसे मिलने आयी। भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने तीन बार कहने के बाद भी उनको भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति नहीं दिया। इसके बाद वह दुखी होकर लौट गयी।

कुछ दिन बाद महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा सहित कई महिलाओं ने अपना बाल मुण्डन करवा कर, केसरिया वस्त्र धारण करके लम्बी यात्रा नंगे पैर शुरू किया। वैशाली पहुँचकर बुद्ध के आश्रम के पास रुके, जहाँ बुद्ध पहले से ही मौजूद थे।

हजारों लोगों ने इन महिलाओं की दुर्दशा देखा, तो उनका हृदय पिघल गया। क्या यह वही महिला है जिसने महात्मा बुद्ध

को उनकी माता के देहावसान के बाद पालन–पोषण किया था? क्या यशोधरा इनकी पत्नी नहीं है? भिक्षुणी संघ में बुद्ध ने इनको क्यों प्रवेश नहीं दिया?

थका–हारा यह महिलाओं का जनसमूह बड़े बाग में विश्राम कर रहा था। वहां प्रजापति गौतमी को आनंद ने रोता हुआ देखा। इन्होंने भिक्षुणी को संघ में प्रवेश देने के लिए अनुमति बुद्ध के पास जाकर मांगा। बुद्ध ने इस मुद्दे पर विचार करने से मना कर दिया। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या स्त्रियां पुरुषों के समान सर्वोच्च पद प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तब बुद्ध ने कहा कि 'हां'।

तब आनंद ने प्रजापति गौतमी द्वारा किये गये सेवाकार्य का वर्णन किया। आनन्द ने कहाँ ''हे प्रभु, स्त्रियां भी आपके द्वारा बताये मार्ग का अनुसरण कर सत्य को जान सकें।'' तब महात्मा बुद्ध अंतिम में भिक्षुणी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दिया।

शायद बुद्ध के मन में मठ के संगठन कार्य को लेकर दुविधा रही होगी। यद्यपि वे महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रमुख तत्व है इनकी शिक्षा में। इसलिए इन्होंने 8 कठोर नियमों का प्रतिपादन किया। इसका अनुसरण करने पर बल दिया।

विद्वानों के अनुसार राजमहल की महिलाओं को कठोर जीवन जीने की आदत न थी। घर–घर भोजन मांगना, लकड़ी इकट्ठा करना, जैसा कार्य असुरक्षा युक्त था। इसलिए वे दुविधा में रहे। जैसे राजमहल संकिसा की रानी उत्पला थी।[9]

कभी–कभी घर की मुख्य आधार स्त्री थी। जब घर छोड़कर संघ में शामिल होती थी, तब उसका परिवार असुविधा में पड़ जाता था। बच्चों का देखभाल व पति का अकेला होना, चुनौतीपूर्ण हो जाता था। ऐसे परिवार संघ को सहयोग नहीं करते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर महिलाओं को संघ में शामिल होने से पूर्व 8 नियमों पर सहमति ली जाती थी। जो निम्नलिखित हैं:

1. एक भिक्षुणी को दूसरे भिक्षुणी का अभिवादन करना चाहिए, भले ही कोई कितना नया व पुराना हो।
2. वर्षाकाल वही भिक्षुणी बिताये, जिस जिले में कोई भिक्षु हो।
3. हर भिक्षुणी को हर पखवाड़े में उपोसथ की तिथि पूछनी चाहिए।
4. वर्षा ऋतु में विश्राम के अंत में भिक्षुणी को भिक्षुओं व भिक्षुणी संघ से पूछना चाहिए कि उसने उनके बारे में कुछ सुना है या संदेह है।
5. गंभीर अपराधों वाली भिक्षुणी को मनत्ता अनुशासन से गुजरना होगा। यह एक अस्थायी नियम है।
6. जो भिक्षुणी वर्षों तक 6 नियमों का पालन करती है, उसे ही दोनों संघों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
7. कोई भिक्षु–भिक्षुणी गाली–गलौज नहीं करेंगे।
8. भिक्षु, भिक्षुणियों को उपदेश सलाह दे सकते हैं। लेकिन भिक्षुणियाँ भिक्षुओं को नहीं दे सकती हैं।
9. यह सामाजिक सीमाओं के भीतर महिलाओं को ज्ञान प्राप्ति का उचित माध्यम माना गया। भिक्षु संघ के अधीन भिक्षुणी संघ कार्य करता था।

संघ में महिलाओं का प्रवेश व पतन –

विनयपिटक के अनुसार आनन्द के आग्रह पर बुद्ध ने भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया। तब बुद्ध ने भविष्यवाणी किया कि यह संघ अब आधा समय ही चल पायेगा। यह धर्म अब केवल कुछ वर्षों में समाप्त हो जाने वाली भविष्यवाणी की व्याख्या कई प्रकार से की गई।

जब पश्चिम से कई महिलाएं इस सिद्धान्तों का अध्ययन व अपनाने के लिए आई, तब इस भविष्यवाणी पर प्रश्नचिन्ह लग गया। विद्वानों के अनुसार बौद्ध धर्म भविष्यवाणी तक ही सीमित नहीं रहा। बुद्ध ने ये कहा हो या न कहा हो, लेकिन बौद्ध धर्म आज भी अपनी जड़े मजबूत कर रहा है।

पाली धर्म ग्रन्थों में बुद्ध ने अपने धर्म के पतन के बारे में एक भी चेतावनी नहीं दी है। यद्यपि वास्तविकता यह है कि बौद्ध धर्म के उत्थान के बाद पतन में ज्यादा योगदान भिक्षुओं का था। यह कई लोगों, देशों का धर्म था। इसके पतन होने से लुप्त होने तक एक प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है।[10] इसका पता ऐसे लगा सकते हैं– प्रथम संगीति में 500 पुरुषों ने भाग लिया। कोई भिक्षुणी नहीं थी। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने कहा कि जब भिक्षु लोग धम्म को अधर्म, अनुशासन को अनुशासनहीनता समझेंगे तब वे गलत हैं।[11]

जब भिक्षु विनय के अक्षरों की गलत व्याख्या करेंगे, सुनने, सीखने, बोलने में गलत करेंगे तब वे धर्म को पतन की ओर ले जायेंगे। इससे धर्म लुप्त हो जायेगा।

विभिन्न समाज की महिलायें भिक्षुणी संघ में इसलिए जा रही थी क्योंकि उन्हें बुद्ध के वचन व उपदेश सार्थक लगे[12], जिससे वे परम पद को पा सकती हैं। उनके रिश्तेदार व समाज के लोग शामिल हो रहे थे। वृद्ध, विधवा व गरीबी के कारण अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कई महिलाएं शामिल हो रही थी। कुछ युवतियां अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊबकर भिक्षुणी संघ में शामिल होकर पूर्णता प्राप्त करना चाहती थी।

'थेरीगाथा' में 71 स्त्रियों द्वारा लगभग 73 ज्ञान युक्त कविताएं व श्लोक लिखे गये हैं, जो उनकी कुशलता, विद्वत्ता का

परिणाम था। पालिग्रन्थ 'धम्मपदिन' ने अपने पूर्व पति व विशाखा को उपदेश दिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धान्तों व प्रथाओं की व्याख्या किया। भिक्षुणी समुदाय अन्य महिला समुदाय से अधिक स्वतंत्र व आत्म निर्भर था।

निष्कर्ष –

महिलाओं के उत्थान व भागीदारी बढ़ाने के लिए बुद्ध को महिलाओं की मुक्तिदाता, लोकतांत्रिक जीवन शैली सिखाने का श्रेय दिया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं को परम सत्य प्राप्त करने में पुरुषों के समान माना। उस समय जब ब्राह्मणवादी कुव्यवस्था चरम पर थी, तब उन्होंने नारी उद्धार का अद्वितीय प्रयास किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर व सहनशील बनाया। उस समय कई पीड़ित, शोषित महिलाओं को नवजीवन प्रदान किया। अतः कह सकते हैं कि बौद्ध काल महिलाओं के लिए विकास का काल था।

सन्दर्भ सूची

1. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (1958): द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, भाग–1, कलकत्ता, राधाकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, पृष्ठ– 221–23
2. मजूमदार, आर.सी. (2017): द हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इण्डियन पीपल, भाग–1 (द वेदिक ऐज), मुम्बई, भारतीय विद्या भवन, पृष्ठ– 458
3. हार्नर, आई.बी. (1930): वुमन अन्डर प्रीमीटिव बुद्धिज्म, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, पृष्ठ– 24
4. अहीर, डी.सी. (2009): व्हेयर द बुद्धा स्पेन्ट ट्वेन्टी फाइव रिट्रीट, दिल्ली, बुद्धिस्ट वर्ल्ड, पृष्ठ– 27
5. मिश्रा, योगेन्द्र (2018): गणतंत्र की जननी (वैशाली का इतिहास), पटना, जानकी प्रकाशन, पृष्ठ– 13
6. हार्नर, आई.बी. (1963): द बुक ऑफ द डिसिप्लीन (विनयपिटक) भाग–ट (चुल्लवग्ग), लंदन, लुजाक एंड कम्पनी, पृ. 356
7. डॉ. निहारिका (2007): सारनाथः अतीत और वर्तमान (एक काल यात्रा), दिल्ली, हरमन पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ– 28
8. ब्रेकी, थ्रोरकेल (2002): रिलीजियस मोटीवेशन एण्ड द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, दिल्ली, बुक्स बागेन, पृष्ठ– 34
9. मिश्रा, प्रो. राजाराम (2008): काम्पिल्य विषय और पांचाल जनपद, दिल्ली, कमलेश पब्लिकेशन, पृष्ठ– 88
10. नाट्टियर, जान (1990): वन्स अपान ए फ्यूचर टाइम (स्टडीज इन ए बुद्धिस्ट प्रोफेसी ऑफ डिक्लाइन), कैलिफोर्निया, एशियन ह्यूमानिटीज प्रेस, पृष्ठ– 32
11. गोयल, एस.आर. (1987): ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन बुद्धिज्म, मेरठ, कुसुमंजली प्रकाशन, पृष्ठ– 404
12. शर्मा, एल.पी. (1999): ए हिस्ट्री ऑफ एन्शीयंट इण्डिया प्री हिस्टोरिक ऐज टू 1200 ए.डी., दिल्ली, कोणार्क पब्लिशर्स, पृष्ठ– 86